भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं01875**

<u>दिनांक 29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

श्रम सघन क्षेत्रों से निर्यात में कमी आना

1875. श्री भुपेन्द्र यादव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ श्रम सघन क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले निर्यात में कमी आ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो आज तक की स्थिति के अनुसार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने क्षेत्र-वार समीक्षा पूरी कर ली है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ रहे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अंतिम विश्लेषण कर लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहा;

(ड.) क्या चाय, हस्तशिल्प, सिले-सिलाए वस्त्र और अन्य श्रम सघन क्षेत्रों सहित ऐसे क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा.सिंधिया)</u>

(क) और (ख) : 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान कुछ श्रम सघन क्षेत्रों जैसे जूट, कालीन, हस्तशिल्प के निर्यात में कमी आई है ।

(ग) और (घ) : फरवरी, 2012 से मई, 2012 के दौरान प्रत्येक ईपीसी और अन्य हितधारियों से परामर्श पूरा कर लिया गया है । 01.06.2012 को व्यापार बोर्ड की बैठक हुई और सरकार ने 05.06.2012 को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के वार्षिक परिशिष्ट की घोषणा की ।

(ड.) और (च) : 05.06.2012 को घोषित किए गए निम्नलिखित उपायों से भी श्रम सघन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा :

(i) हथकरघा, हस्तशिल्प, कालीन और एसएमई के लिए 2% इन्टरेस्ट सब्वेन्शन स्कीम को 01.04.2012 से 31.03.2013 तक बढ़ा दिया गया था और इसे विस्तार देते हुए इसमें खिलौने, खेलकूद के सामान, संसाधित कृषि उत्पाद और सिले सिलाए वस्त्र जैसे क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया ।

(ii) ईपीसीजी स्कीम के तहत, कालीन, कॉयर और जूट के निर्यात में औसत स्तर को बनाए रखने की शर्त से भी छूट दी गई थी ।

(iii) विदेश व्यापार नीति के अध्याय - 3 (विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) भारत से सेवित स्कीम (एसएफआईएस) कृषि ढाँचागत प्रोत्साहन स्क्रिप स्कीम) के तहत जारी स्क्रिपों को घरेलू प्राप्ति हेतु उत्पाद शुल्क के भुगतान की अनुमति दी जाएगी ।